बिहार सरकार
उद्योग विभाग

निबंधित

पत्रांक.....
5(स0) अपील (चम्पारण टिम्बर) 01/2016

दिनांक,.....

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री चम्पारण टिम्बर एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स,
पार्टनर प्रो0– राजकुमार सोमानी,
पुत्र– श्री ऋद्ध करण सोमानी
मो0– लालबजार, पो0+थाना– बेतिया,
पश्चिमी चम्पारण।
सर्वश्री चम्पारण टिम्बर एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स,
पार्टनर– श्री रणजीत कुमार,
पुत्र– श्री रत्नेश प्रसाद,
मो0– हरि वाटिका चौक, पो0+थाना– बेतिया,
पश्चिमी चम्पारण।

विषयः– दायर अपीलवाद 01/2016 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री चम्पारण टिम्बर एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स, चम्पारण बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5001 दिनांक 02/11/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
31/X/16

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 01/2016

सर्वश्री चम्पारण टिम्बर एण्ड सलाईड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील सर्वश्री चम्पारण टिम्बर एण्ड सलाईड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र, बेतिया द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1960 दिनांक 22.09.2014 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 1984 में सागर पोखरा, बेतिया औद्योगिक क्षेत्र प्लॉट नं0– A 2 (अंश) और A 3 (अंश) में पत्रांक 1798 दिनांक 08.08.1984 एवं पत्रांक 518 दिनांक 02.03.1989 द्वारा कुल 1.345 एकड़ काष्ठ उपस्कर उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि आपके क्षेत्रीय प्रभारी से मेल–जोल में नहीं रहने के कारण उन्होंने बिना किसी सूचना एवं जानकारी के मेरे अनुपस्थिति में गेट पर नोटिस चिपकाकर फिर उसे फाड़ कर तथा साप्ताहिक बंदी के दिन फोटो खिंचकर इकाई को बन्द घोषित करते हुए आगे की कार्यवाही की गई है, जबकि मेरी इकाई चम्पारण टिम्बर एण्ड एलाईड प्रोडक्ट आज भी कार्यरत है। मेरे द्वारा आयकर भुगतान के साक्ष्य की छायाप्रति, वाणिज्यकर भुगतान की छायाप्रति, फैक्ट्री लाईसेन्स नवीकरण के चलान की छायाप्रति, एक मुश्त भुगतान की छायाप्रति एवं कार्यरत इकाई के फोटो आवेदन के साथ समर्पिज कर दिया हूँ। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के उक्त आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पत्रांक 1798 दिनांक 08.08.84 एवं पत्रांक 518 दिनांक 02.03.89 द्वारा कुल 1.345 एकड़ इकाई का भू–आवंटन श्री गंगाजी वाली जी गुज्जर एवं श्री कान्ति लाल गुज्जर (50–50 प्रतिशत–साझेदारी स्वरुप में) को किया गया। इकाई द्वारा मात्र एक एकड़ भूमि के लीज डीड निबंधन की कार्रवाई की गई है। बियाडा के पत्रांक 2047 दिनांक 31.08.98 द्वारा श्री प्रमोद कुमार गुज्जर एवं श्री दिनेश कुमार गुज्जर को भी इकाई के साझेदार के रुप में मान्यता प्रदान की गई, इस प्रकार इकाई में कुल चार साझेदार हैं। इकाई में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने, कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं रहने के कारण पत्रांक 53 दिनांक 23.03.92,पत्रांक 345 दिनांक 27.04.05, पत्रांक 646

दिनांक 10.08.05 एवं पत्रांक 1914 दिनांक 27.08.07 द्वारा नोटिस तथा पत्रांक 2439 दिनांक 14.01.11 द्वारा अंतिम नोटिस निर्गत करते हुए बकाया राशि रु0 1,14,787/– मात्र की मांग की गई, परन्तु इकाई द्वारा किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया । वर्तमान अपीलकर्ता को इकाई के साझेदार के रुप में बियाडा द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और न ही अपीलकर्ता के साथ बियाडा द्वारा लीज डीड निबंधन की कार्रवाई की गई है। इस तरह अपीलकर्ता इस इकाई के मामले में बियाडा के लिए एक अजनबी हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि इकाई बहुत पहले से बन्द पड़ा है और मूल लीजधारी बहुत दिन पहले बेतिया छोड़कर चले गये है। अंततः बियाडा द्वारा भू–खण्ड का आवंटन–सह लीज डीड रद्द करते हुए इकाई द्वारा जमा राशि को जब्त कर, स्वतः तत्काल प्रभार ग्रहण कर ली गई।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं तर्कों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इकाई को बेतिया औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1984 में काष्ठ उपस्कर उद्योग स्थापना हेतु कुल 1.345 एकड़ भूमि आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा उद्योग स्थापना के लिए कभी कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। वर्तमान में इकाई बन्द है और मूल लीजधारी बेतिया छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं। अपीलकर्ता को इकाई में साझेदारी की स्वीकृति भी बियाडा द्वारा नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में भू–खण्ड का आवंटन–सह लीज डीड रद्द करते हुए इकाई द्वारा जमा राशि को जब्त कर, स्वतः तत्काल प्रभार ग्रहण करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/10/2016

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/10/2016

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।